तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
अपील संख्या 63/2020 बअनवान श्रीराम बनाम जोगाराम वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

23.12.2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 284 रकबा 10.12 बीघा, खसरा संख्या 307 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 308 रकबा 129.05 बीघा कुल रकबा 139.19 बीघा मौजा बूठसरा ग्राम पंचायत नौसर तहसील बायतु जिला बाड़मेर में आये हुऐ है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 2/3 हिस्सा है। वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित किया गया उसमें तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 16.12.2020 को प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पेश किया जिसमें रास्ता 03 गट्ठा अर्थात 18 फीट का देने पर सहमति जाहिर की तथा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पत्रावली फैशल की जाती है तो अपीलांट को कोई आपति नहीं होगी। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पेश प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय पारित किया जाता है तो रेस्पोडेंट को भी कोई आपति नहीं होगी। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोकअदालत की भावना से उभयपक्ष द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति जाहिर करने से अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बायतु को आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष द्वारा सहमति से प्रस्तुत विभाजन प्रस्तावानुसार (परिशिष्ट–ए) के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। प्रस्तावित विभाजन (परिशिष्ट–ए) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना व्ययन करे। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तावित विभाजन अपीलान्ट

परिशिष्ट - A (ए)

आंशिक नक्शा खेरवार

मौजा कूकसर

पटवार मण्डल जैसेर

तहसील बायतू

पैमाना 1" : 400 गुणा

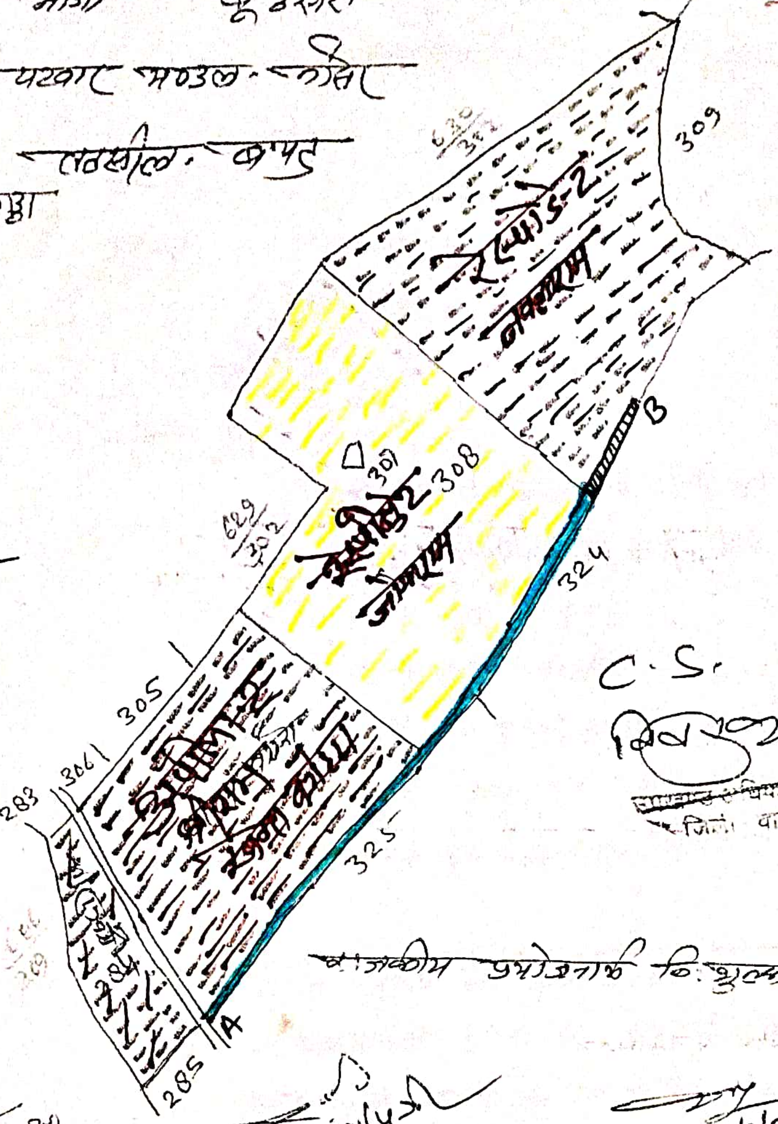

स्वीकार

मूल से मिलान करने पर सही पाया गया।

राजकीय प्रयोजनार्थ नि:शुल्क जारी

17/9/2020

12/9/2020 (भू. अ.)
पटवारी
पटवार मण्डल जैसेर

C.S.

सिंघ उपाध्याय

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर
अपील सं० 63/2020
श्रीराम बनाम जोगाराम वगै०
निर्णय दि: 23/4/2020

धुतराराम   रेखाराम चौधरी   नवलाराम

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) बायतु

उभय पक्ष द्वारा सहमति के आधार पर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में A से B तक 3 गट्ठा चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाता है जो पूर्व में 0.17 बीघा था। रास्ते की 3 गट्ठा चौड़ाई मानी जाकर रकबे के आवण्टन अनुसार शामलाती बाबत रास्ते एवं खातेदारी की भूमि का अंकन किया जावे।

3-

23/4/2020

श्रीराम

"A to B"

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

संकेत

→ अपीलान्ट - श्रीराम एवं रेस्पोडेन्ट - खेमाराम
वरग - लाल रंग

→ रेस्पोडेन्ट - जोगाराम
वरग - पीला रंग

→ रेस्पोडेन्ट - नवलाराम
वरग - काला रंग

→ रास्ता - (3) गट्ठा
अर्थात - 18 फीट का
वरग - कबूतरी रंग